

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(4)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/426-35 जयपुर, दिनांक:- 06.03.2025

**आदेश**

अभियोजन निदेशालय के आदेश स. 24-2(2)स्था./अभि./23/01671 दिनांक 10.07.2024 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री भारत भूषण प्रधान का पदस्थापन लोकहित में न्यायालय सीजे(जेडी)जेएम, आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा में सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ़।
6. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर